



15
YEARS OF
CELEBRATING
THE PRAKATYA

Rajasthan State Mines & Minerals Limited

(A Government of Rajasthan Enterprise)

Corporate Office : 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001

Registered Office : C-89-90, Lal Kothi Scheme, Jaipur, CIN-U14109RJ1949SGC000505

Phone : 0294-2428763/64/65/66/67, Fax : 0294-2428770/2428739

e-mail : info.rsmml@rajasthan.gov.in, Website: www.rsmml.com

क्रमांक:—आरएसएमएमएल/सीओ/पर्स/10(1)/2015-66


दिवस 14/ सप्ताह 21

दिनांक:— 20/5/2020

आदेश

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह (गुप-9) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 33(2)गृह-9/2019 जयपुर दिनांक 18.05.2020 के तहत गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 17.05.2020 के अनुसरण में राजस्थान राज्य में दिनांक 18 से 31 मई 2020 तक की अवधि के लिए लॉकडाउन 4.0 लागू करते हुए गार्डलाईन्स जारी की गई है।

संस्थान के समस्त कार्यालयों/खदानों/युनिटों में कार्यों का सम्पादन उक्त उल्लेखित आदेश के साथ ही स्थानीय प्रशासन के स्तर पर इस सम्बंध में यदि कोई आदेश जारी किये जाते हैं, तो उनकी पालना भी सुनिश्चित की जाये।


सोमनाथ मिश्रा (आई.ए.एस.)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष महोदय, आरएसएमएमएल।
2. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएसएमएमएल, उदयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार/समस्त विभागाध्यक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय आरएसएमएमएल, उदयपुर।
4. समूह महाप्रबन्धक, एसबीयू एण्ड पीसी-रॉक फॉस्फेट-झामरकोटड़ा/ प्रमुख एवं प्रभारी, लाईमस्टोन-जोधपुर/ जिप्सम-बीकानेर/ लिग्नाईट-जयपुर।
5. ^{PM}एमआईएस विभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय, आरएसएमएमएल, उदयपुर।
6. गार्ड पत्रावली।


कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)